बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 345811 पटना, दिनांकः- 02/01/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत चयनित लाभुकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ देने के संबंध में ।**

प्रसंग :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-J-11012/02/2016-RH दि0-04.12.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत चयनित लाभुक की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को योजना का लाभ देने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो निम्नवत हैः-

बिन्दु	विषय	समाधान
1.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) की मृत्यु हो जाने पर पति/पत्नी को लाभान्वित किया जा सकता है ?	पति या पत्नी, जिनका नाम SECC Database में उसी घर के अंतर्गत है, उनको लाभ दिया जा सकता है ।
2.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अन्य आश्रितों को लाभान्वित किया जा सकता है ?	परिवार के आश्रित सदस्य, जिनका नाम SECC Database में उसी घर के अंतर्गत है, उनको लाभ दिया जा सकता है ।
3.	क्या लाभुक (घर का मुखिया) पति तथा पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर, अव्यस्क बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है ?	अव्यस्क बच्चों, जिनके नाम SECC की सूची में उसी घर के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहे हैं, के नाम पर अभिभावक, ब्लॉक/पंचायत अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से लाभ दिया जा सकता है ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए इससे सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

1.1.18

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 345811 पटना, दिनांक 02/01/18

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

1.1.18

सरकार के अपर सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1968 B.doc